

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :-06/वि0पत्रा0-24-47/2024

पटना, दिनांक—

श्रीमती नीतू सिंह, अवर सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम- 159 के तहत दिनांक-16.11.2024 एवं 17.11.2024 को घोषित शनिवारीय एवं रविवारीय अवकाश उपभोग करने एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-18.11.2024 से 15.12.2024 तक कुल 28 (अट्ठाईस) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्रीमती सिंह के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (300-28=272) (दो सौ बहत्तर) दिनों का उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / -

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।

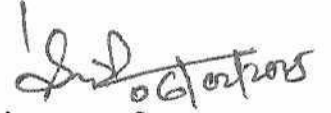
ज्ञापांक:-06/वि0पत्रा0-24-47/2024

687

पटना, दिनांक-

06/02/25

प्रतिलिपि:-वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना-800015/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती नीतू सिंह, अवर सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।